

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :-सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 111/2026

- 1 उमेश कुमार पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 विकास कुमार पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

डिक्री

दिनांक 30/3/26

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चक नं० 3 डीपीएम के खाता सं० 20/12 में कुल 759 है० तथा चक नं० 11 एम. के. एस के खाता सं० 7/6 में कुल 2.024 है०, प्रतिवादी विकास कुमार के नाम से दर्ज आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चक नं० चक नं० 3 डीपीएम के खाता सं० 20/12 तथा चक नं० 11 एम. के. एस के खाता सं० 7/6 में से प्रतिवादी विकास कुमार नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/3/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी
सत्यनारायण (R.A.S.)
पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
आधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी टिब्बी